

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, श्री...

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प श्री...

87/25

श्री...

आदेश:-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी श्री... व भूअ.नि. श्री... की रिपोर्ट तथा तहसीलदार श्री.../नायब तहसीलदार श्री... की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 138 के अनुसरण में ग्राम श्री... तहसील श्री... व जिला श्री... की जमाबन्दी सम्वत् 2024 में खाता संख्या 143, 144, 145, 146 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

| क.सं. | ग्राम | खाता संख्या | वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि) | आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है) |
|-------|---------|--------------------|--------------------------------------|--|
| 01. | श्री... | 143, 144, 145, 146 | दलाह (श्री) श्री... | क... श्री... |

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जिला-राजसमन्द

कमांक :- 87/2025

दिनांक :- 30/6/25

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार श्री... को भेजकर लेख है-कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री... को सूचनाार्थ।
3. रक्षित पत्रावली। श्री... को सूचनाार्थ।

पीठासीन अधिकारी
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
जिला-राजसमन्द